न्यायालय जिला मजिस्ट्रेट, हनुमानगढ़

पीठासीन अधिकारी का नामः—नथमल डिडेल, आई.ए.एस.

प्रार्थना पत्र संख्याः—72/2022 (14 सिक्योरिटाइजेशन)

भारतीय स्टेट बैंक शाखा—टिब्बी जिला हनुमानगढ़ जरिये प्राधिकृत अधिकारी/मुख्य प्रबन्धक ।

——प्रार्थी

बनाम

मैसर्स ज्योति इन्जिनियरिंग वर्क्स (ऋणी)
प्रो. श्री कानाराम पुत्र श्री कुन्दन लाल ग्राम— टिब्बी, तहसील कार्यालय के सामने जिला हनुमानगढ़।

——ऋणी

श्री ओमप्रकाश पुत्र श्री जगराम निवासी वार्ड नं. 15, ग्राम— टिब्बी, जिला हनुमानगढ़।

——(जमानती)

वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुर्नगठन और प्रतिभूति हित प्रर्वतन अधिनियम 2002 की धारा 14 के अन्तर्गत प्रार्थना पत्र।

आदेश

दिनांकः—06.10.2022

प्रार्थी भारतीय स्टेट बैंक शाखा—टिब्बी जिला हनुमानगढ़ जरिये प्राधिकृत अधिकारी/मुख्य प्रबन्धक की ओर से श्री रामकुमार विश्नोई वकील उपस्थित आये जिनको सुना गया। बैंक के वकील ने प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि प्रार्थी बैंक ने ऋणी मैसर्स ज्योति इन्जिनियरिंग वर्क्स को दिनांक 19.03.2019 को रू. 1090000.00 अक्षरे दस लाख नब्बे रूपये मात्र का ऋण स्वीकृत किया था। ऋणी ने उक्त ऋण सुविधा के तहत प्रदत्त ऋण पर ब्याज और ऋण के भुगतान में चूक होने पर अतिरिक्त ब्याज एवं खर्चों के अदा करने की गारन्टी के रूप में अपनी अचल सम्पत्ति मकान पट्टा नं. 10, वार्ड नं. 15, ग्राम—टिब्बी, जिला हनुमानगढ (राज.) में स्थित भूमि व निर्मित भवन जिसका क्षेत्रफल बैंक रिकॉर्ड के अनुसार 222.78 वर्ग गज है, जिसको आवश्यक दस्तावेजों का निष्पादन करके प्रार्थी बैंक के पक्ष में साम्यिक/दृष्टिबंधक किया।

ऋणी द्वारा प्रार्थी के उक्त ऋण को समय पर चुकाने में असफल होने और ऋण के भुगतान में व्यतिक्रम व डिफाल्ट होने पर प्रार्थी बैंक द्वारा ऋणी के ऋण खाता को रिजर्व बैंक ऑफ इण्डिया के दिशा—निर्देशानुसार दिनांक 28.09.2021 को गैर—निष्पादनीय आस्ति(एनपीए) के रूप में वर्गीकृत कर दिया गया।

ऋणी के ऋण खाता एनपीए होने पर एक्ट की धारा 13(2) के अन्तर्गत प्रार्थी बैंक ने अपने प्राधिकृत अधिकारी के माध्यम से ऋणी को रजिस्टर्ड नोटिस दिनांक 13.08.2021 भेज कर 60 दिन में ऋण राशि 10,90,565.00(रूपये दस लाख नब्बे हजार पांच सौ पैसठ रूपये मात्र) + इसके आगे का ब्याज व खर्चे दिनांक 12.08.2021 तक का व आगे का ब्याज व अन्य खर्चे अतिरिक्त के अदा करने की मांग की गई। प्रार्थी बैंक के वकील ने यह भी कथन किया कि नोटिस प्राप्ति के पश्चात भी ऋणी द्वारा प्रार्थी बैंक की बकाया रकम न तो अदा की और न ही नोटिस का कोई जवाब दिया।

ऋणी द्वारा ऋण की सम्पूर्ण राशि बैंक को जमा नहीं करवाई है और न ही बंधक शुदा सम्पति का सम्पूर्ण वास्तविक कब्जा प्रार्थी बैंक को दिया गया। उक्त एक्ट के प्रावधानों के अनुसार प्रार्थी बैंक उपरोक्त वर्णित रहन शुदा सम्पत्ति का कब्जा प्राप्त करने व विक्रय कर शेष देय ऋण राशि वसूल करने का अधिकारी है। उक्त एक्ट की धारा 14 के प्रावधानों के अन्तर्गत प्रार्थी बैंक को उक्त बंधक शुदा सम्पति का भौतिक कब्जा पुलिस सहायता से दिलाया जावे ताकि अधिनियम के प्रावधानानुसार सम्पति बेचकर बकाया ऋण राशि वसूल की जा सके।

भारतीय स्टेट बैंक शाखा–टिब्बी जरिये प्राधिकृत अधिकारी की ओर से उपस्थित वकील के कथनों पर मनन किया और पत्रावली का गहनता से अवलोकन किया। ऋणी द्वारा बैंक को ऋण राशि का भुगतान करने में असफल रहने व समय पर ऋण राशि मय ब्याज अदा नहीं करने पर प्रार्थी बैंक द्वारा अधिनियम की धारा 13(2) के अन्तर्गत ऋणी को नोटिस जारी किया जाना पाया गया। इसके पश्चात भी ऋणी द्वारा ऋण राशि की शर्तों के मुताबिक ऋण राशि का भुगतान बैंक को नहीं करने पर The Securitisation and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act, 2002 की धारा 14 में प्रदत शक्तियों के तहत तथा भारतीय स्टेट बैंक शाखा–टिब्बी जरिये प्राधिकृत अधिकारी के शपथ पत्र पर विश्वास करते हुए प्रार्थी बैंक का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है। ऋणी द्वारा उक्त ऋण की सुविधा की एवज में प्रार्थी बैंक के पास साम्यिक बंधकशुदा अचल सम्पत्ति मकान पट्टा नं. 10, वार्ड नं. 15, ग्राम– टीब्बी, जिला हनुमानगढ (राज.) में स्थित भूमि व निर्मित भवन जिसका क्षेत्रफल बैंक रिकॉर्ड के अनुसार 222.78 वर्ग गज है, जिसका भौतिक कब्जा जरिये पुलिस की सहायता से प्रार्थी बैंक को दिलाये जाने के आदेश दिये जाते है। जिला पुलिस अधीक्षक, हनुमानगढ़ को निर्देश दिये जाते है कि प्रार्थी बैंक को उक्त सम्पत्ति का कब्जा प्राप्ति हेतु प्रार्थी बैंक द्वारा चाहे अनुसार पुलिस सहायता संबंधित पुलिस थाना के माध्यम से नियमानुसार उपलब्ध करवाई जावे। पत्रावली नंबर से कम की जाकर दाखिल दफ्तर की जावे।

यह आदेश आज दिनांक 06.10.2021 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर सुनाया गया।

न्यायालय जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट हनुमानगढ़ सत्यमेव जयते

जिला मजिस्ट्रेट
हनुमानगढ़